

फर्द अहकाम
(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री अभिमन्यु शर्मा, गणगौर वाटिका, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूं

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 957/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/10/20	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अभिमन्यु शर्मा निवासी गणगौर वाटिका, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 26.08.2020 को अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूं को प्रस्तुत किया। अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूं द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन पत्र से चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूं को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी नगर पालिका, बेगूं से संबंधित है जो कि स्वायत्त शासन विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूं के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (अध्यक्ष, नगर पालिका, बेगूं) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)